भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 993

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर

993 एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्गमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के विकास के एक भाग के रूप में कनियापुरम जंक्शन पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या कनियापुरम जैसे प्रमुख जंक्शन पर दोनों ओर दोनों तरफ दीवार युक्त राजमार्ग के प्रस्तावित निर्माण से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए कनियापुरम जंक्शन पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) जी, हाँ। कनियापुरम जंक्शन (किमी 544+883) पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण का अनुरोध प्राप्त हुआ था। रारा-66 के कदंबट्टुकोणम से कजाकुट्टम खंड तक 6 लेन के अनुबंध समझौते में कनियापुरम जंक्शन (किमी 544+883) पर वीयूपी (आकार 5.5 मीटर x 22.9 मीटर) का प्रावधान है। इसके अलावा, एनएचएआई ने किमी 545+700 से किमी 545+880 (कनियापुरम से 817 मीटर दूर) तक 180 मीटर (30 मीटर के 6 स्पैन) की लंबाई के लिए फ्लाईओवर के निर्माण के कार्यक्षेत्र में बदलाव को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त वीयूपी और फ्लाईओवर सर्विस रोड के माध्यम से जुड़े हुए हैं और वाहनों की आवाजाही की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अत: एलिवेटेड वायाडक्ट का निर्माण अपेक्षित नहीं है।

*****